प्रेस विज्ञप्ति

22.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स डेलहमान रिया-आईटी ट्रेड प्रा. लिमिटेड जोकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यह कंपनी हरिप्रसाद अकालू पासवान एवं रमेश यादव कुमार के निर्देशन में तथा अजय हरिनाथ सिंह के संचालन में कानूनी, लेखा परीक्षा और कर परामर्श देने का काम करती है। इसके मामले में 21.3.2024 को दिल्ली, मुंबई और गोवा में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने भा.दं.सं.,1860 की धारा 420 के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मैसर्स डेलहमान रिया-आईटी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य ने वर्ष 2020 में मैसर्स वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (वीएमपीएल) के बैंक खाते से मैसर्स डेलहमान रिया-आईटी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के खातों में धोखाधड़ी से 18 करोड़ रुपए अंतरित कर दिए थे।

तलाशी अभियान के दौरान, यह पाया गया कि सोल आर्बिट्रेटर के समक्ष एक फर्जी निवेश समझौता प्रस्तुत करने के द्वारा और एक फर्जी अधिकृत प्रतिनिधि मोहम्मद शमशुद्दीन द्वारा , मैसर्स डेलहमान रिया-आईटी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड ने मैसर्स वीएमपीएल के बैंक खाते से 18 करोड़ रुपए अंतरित किए। उसी दिन उपरोक्त धोखाधड़ी वाले लेनदेन की राशि को डार्विन ग्रुप ऑफ कंपनीज के कई बैंक खातों और अजय हरिनाथ सिंह के परिवार के सदस्यों तथा कुछ करीबी सहयोगियों के व्यक्तिगत बैंक खातों में अंतरित कर दी गयी। आगे यह भी पता चला कि मैसर्स डेलहमान रिया-आईटी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अर्थात् हरिप्रसाद अकालू पासवान और रमेश यादव कुमार डमी निदेशक थे और संपूर्ण लेन-देन का लाभ अजय हरिनाथ सिंह के स्वामित्व वाले डार्विन ग्रुप ऑफ कंपनीज को मिला।

तलाशी कार्यवाही के दौरान, अजय हरिनाथ सिंह और उनके सहयोगियों के आवास से लगभग 78 लाख रुपयेउ नकद, 2 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा, विभिन्न डिजिटल उपकरण और अपराधिक दस्तावेज जब्त किए गए।

आगे की जांच जारी है।